

अध्याय 7

प्रकीर्ण

1974 के अधिनियम 47 की अनुसूची का संशोधन। **151.** तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की अनुसूची में, कच्चे तेल से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 3 में की प्रविष्टि के स्थान पर “चार हजार पांच सौ रुपये प्रति टन” प्रविष्टि रखी जाएगी। 40

2001 के अधिनियम 14 की सातवीं अनुसूची का संशोधन। **152.** वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का (वित्त अधिनियम, 2005 की बारहवीं अनुसूची द्वारा यथा प्रतिस्थापित), नौवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा। 2005 का 18

153. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की सारणी में, 1 जुलाई 2012 से,— 2004 के अधिनियम 23 की धारा 98 का संशोधन।
- (i) क्रम सं. 1 के सामने, दर से सम्बन्धित स्तंभ (3) के अधीन “0.125 प्रतिशत” अंकों और शब्द के स्थान पर “0.1 प्रतिशत” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) क्रम सं. 2 के सामने, दर से सम्बन्धित स्तंभ (3) के अधीन “0.125 प्रतिशत” अंकों और शब्द के स्थान पर “0.1 प्रतिशत” अंक और शब्द रखे जाएंगे।
154. वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची का दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा। 2005 के अधिनियम 18 की सातवीं अनुसूची का संशोधन।
155. वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 73 की उपधारा (2) में, “अंतःनिवेश समझे जाने वाले” शब्दों के स्थान पर 2010 के अधिनियम 14 का संशोधन।
“अंतःनिवेश या अंतःनिवेश सेवाएं, समझे जाने वाले” शब्द रखे जाएंगे और 8 मई, 2010 से रखे गए समझे जाएंगे।
156. वित्त अधिनियम, 2011 में, उस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से— 2011 के अधिनियम 8 का संशोधन।
- 10 (i) धारा 73 में,—
- (अ) आरंभिक भाग में, “(जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) में,—
- (क) “पहली अनुसूची का,—” कोष्ठकों, शब्दों और अक्षर के स्थान पर “में, पहली अनुसूची का,—” शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;
- (आ) “(ख) तीसरी अनुसूची का बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा।” कोष्ठक, अक्षर और शब्द पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 70क के शीर्ष “उत्पाद-शुल्क” के नीचे अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;
- 15 (ii) बारहवीं अनुसूची में, “[धारा 73(ख) देखिए]
- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,—” कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा और सदैव से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—
- 20 “[धारा 70क देखिए]
- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,—”।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि लोक हित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 127, खंड 128, खंड 140, खंड 141 और खंड 151 के उपबंध अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

1931 का 16